

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : ओम कसेरा, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या - 11/2020 (Bank Case)

आईडीबीआई बैंक लि0, शाखा-घोडेवाला चौराहा, कोटा

- प्रार्थी /सिक्वोर क्रेडिटर

बनाम

1. मैसर्स श्रुति सेल्स एजेंसी प्रोपराईटर श्रीमती सुनिता अग्रवाल पत्नी श्री शंकर लाल अग्रवाल
पता- 1. दुकान नं0 6, स्वागत मार्केट, ओल्ड धानमण्डी, कोटा-324006
2. श्रीमती सुनिता अग्रवाल पत्नी श्री शंकर लाल अग्रवाल
3. श्री मुकेश अग्रवाल पुत्र श्री नोरतमल अग्रवाल
4. श्री शंकर लाल अग्रवाल पुत्र श्री विरधी चंद अग्रवाल
पता- प्लॉट नं0 18-19, मारुति कॉलोनी, पंकज होटल के पीछे,
नयापुरा कोटा-324001

- अप्रार्थीगण/ऋणी



प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थित

श्री अमर सिंह नरुका, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांक: 28.01.2020

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि आईडीबीआई बैंक लि0, शाखा-घोडेवाला चौराहा, कोटा राजस्थान मे स्थित हैं, से अप्रार्थीगण ने दिनांक 27.12.2016 को रूपये 90,00,000/- (अक्षरे: रूपये नब्बे लाख मात्र) का ऋण लिया था। अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्वोरिटी के रूप मे अचल सम्पत्ति (1) दुकान नं0 6 (छत के बिना) स्वागत मार्केट, ओल्ड धानमण्डी, कोटा में स्थित हैं जिसका क्षेत्रफल 125 वर्ग फीट हैं जो कि श्रीमती सुनिता अग्रवाल के नाम से हैं (जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र कार्यालय उपपंजीयक कोटा, दिनांक 16.06.2004) जिसकी चतुर्थ सीमाएँ- पूर्व-मार्ग, पश्चिम-हीरा लाल सबदारा का मकान, उत्तर- अन्य भूमि, दक्षिण-दुकान नं0 5 पवन ट्रेडिंग कम्पनी (2) दुकान नं0 1 एवं 2 (छत के बिना) स्वागत मार्केट, ओल्ड धानमण्डी, कोटा में स्थित हैं जिसका क्षेत्रफल 183.19 वर्ग फीट हैं जो कि श्री मुकेश अग्रवाल पुत्र श्री नोरतमल अग्रवाल के नाम से हैं (जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र कार्यालय उपपंजीयक कोटा, दिनांक 11.06.2004) जिसकी चतुर्थ सीमाएँ- पूर्व- मार्ग, पश्चिम- हीरा लाल सबदारा एवं प्रेमजी का मकान, उत्तर- दुकान नं0 3 एवं 4, दक्षिण- मार्ग (3) 3 दुकानें, स्वागत मार्केट, ओल्ड धानमण्डी, कोटा में स्थित हैं जिसका क्षेत्रफल 204.63 वर्ग फीट है जो कि श्री शंकर लाल अग्रवाल पुत्र श्री विरधी चंद अग्रवाल के नाम से हैं (जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र कार्यालय उपपंजीयक कोटा, दिनांक 15.06.2007) जिसकी चतुर्थ सीमाएँ- पूर्व- अन्य दुकान, पश्चिम- हीरालाल एवं प्रेमजी का मकान, उत्तर- गुजराती जी का मकान, दक्षिण- मार्ग हैं, को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत

जिला कलेक्टर
कोटा

किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिगत व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 01.04.2019 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थीगण के खातों में 92,92,000/- (अक्षरे रूपये बानवे लाख बानवे हजार मात्र) बकाया रकम दिनांक 14.06.2019 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्च पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 30.08.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नहीं संभलाया है। प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 30.08.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 30.08.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। ऋणी/बंधककर्ता अचल सम्पत्ति (1) दुकान नं० 6 (छत के बिना) स्वागत मार्केट, ओल्ड धानमण्डी, कोटा में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 125 वर्ग फीट है जो कि श्रीमती सुनिता अग्रवाल के नाम से है (जयें रजिस्टर्ड विक्रय पत्र कार्यालय उपपंजीयक कोटा, दिनांक 16.06.2004) जिसकी चतुर्थ सीमाएँ- पूर्व-मार्ग, पश्चिम-हीरा लाल सबदारा का मकान, उत्तर- अन्य भूमि, दक्षिण-दुकान नं० 5 पवन ट्रेडिंग कम्पनी (2) दुकान नं० 1 एवं 2 (छत के बिना) स्वागत मार्केट, ओल्ड धानमण्डी, कोटा में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 183.19 वर्ग फीट है जो कि श्री मुकेश अग्रवाल पुत्र श्री नोरतमल अग्रवाल के नाम से है (जयें रजिस्टर्ड विक्रय पत्र कार्यालय उपपंजीयक कोटा, दिनांक 11.06.2004) जिसकी चतुर्थ सीमाएँ- पूर्व- मार्ग, पश्चिम- हीरा लाल सबदारा एवं प्रेमजी का मकान, उत्तर- दुकान नं० 3 एवं 4, दक्षिण- मार्ग (3) 3 दुकानें, स्वागत मार्केट, ओल्ड धानमण्डी, कोटा में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 204.63 वर्ग फीट है जो कि श्री शंकर लाल अग्रवाल पुत्र श्री बिरधी चंद अग्रवाल के नाम से है (जयें रजिस्टर्ड विक्रय पत्र कार्यालय उपपंजीयक कोटा, दिनांक 15.06.2007) जिसकी चतुर्थ सीमाएँ- पूर्व- अन्य दुकान, पश्चिम- हीरालाल एवं प्रेमजी का मकान, उत्तर- गुजराती जी का मकान, दक्षिण- मार्ग है, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों

जिसा कलेक्टर

कोटा

मे देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्त कायदा जारी हो। सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति में यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे।

आदेश आज दिनांक 28.01.2020 को सुनाया गया।




(ओम कसेरा)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा
कोटा